न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 34 / 2023

श्री सियाराम बैरवा पुत्र बद्रीलाल बैरवा निवासी अम्बेडकर हाउस नयांगावं, खरेडा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.11.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 473 दिनाक 03.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 मैनें दिनांक 1.3.2023 व 30.05.2023 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित कर बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 465/2020, 472/2021 थाना टोडारायसिंह अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पेश किया था मैंने जो प्रार्थना पत्र प्रेषित किए थे उनकी प्रमाणित

2 उस प्रार्थना पत्र पर आपके सरकारी विभाग आवक जावक में इंद्राज किया गया है तो उसकी प्रमाणिक

3 मेरे प्रार्थना पर आपने कोई नोट सीट चलाई है तो उसकी प्रमाणित प्रति

4 मेरे प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा जितने भी कार्रवाई की गई है मय कार्यवाही संपूर्ण पत्रावली प्रमाणित प्रति

5 मेरे प्रार्थना पत्र पर बनाई गई पत्रावली के फाइल कवरेज की ऊपर नीचे की प्रामाणित प्रति

6 इसके अलावा मेरे प्रार्थना पर आपके किसी भी सरकारी विभाग अथवा व्यक्ति से किया गया पत्राचार आपसी पत्राचार जो किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति

7 मेरे प्रार्थना पर कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम पदनाम पता एवं

8 मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम/पदनाम व पता

9 मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही जिस नियम के तहत नहीं की गई है उसकी प्रमाणित प्रति

10 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित को राहत राशि का भुगतान करने हेतु सरकार की ओर से क्या—क्या व कौन—कौन सी गाइडलाइन जारी की गई है मैं संपूर्ण पत्रावली निर्धारित समय अवधि स्वीकृति व भुगतान तक की संपूर्ण पत्रावली

जिला कलेक्टर

11 क्या कारण है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान करने में भेदभाव किया जा रहा है मैं संपूर्ण पत्रावली एवं उक्त आरटीआई आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 893 दिनांक 06.10.2023 व 1000 दिनांक 25.10.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक/23/1902 दिनांक 1.11.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 से 8 तक की सूचना उनके पत्रांक 1900 दिनांक 1.11.2023 द्वारा प्रेषित की गई। आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 9 से 11 की सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोंक से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 1901 दिनांक 1.11.2023 से सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोंक को अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 9 से 11 की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट बिन्दु संख्या 1 से 8 तक कि हद तक अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक